

Hindi - General Terms of Allotment of Taluka for Distributorship of product (Panchgavya 5ml) manufactured by Dlog Technologies, Chennai, India.

(wef 28 4 25)

(Google Translated)

डीलॉग टेक्नोलॉजीज, चेन्नई, भारत द्वारा निर्मित उत्पाद (पंचगव्य 5 एमएल) के वितरक के लिए तालुका के आवंटन की सामान्य शर्तें।

(28 4 25 से प्रभावी)

यह टीएमडी को वितरण हेतु तालुका के आवंटन की सामान्य शर्तें हैं

डीलॉग टेक्नोलॉजीज, न्यू नं. 21, थम्बैया रोड एक्सटेंशन, वेस्ट माम्बलम, चेन्नई- 600 033 में स्थित, पंचगव्य जैविक खाद के निर्माता, संक्षेप में पीजी, इसके एकमात्र मालिक **श्री आर. चंद्रमौलीस्वरन** द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है, जिसे आगे निर्माता, संक्षेप में **एमएफआर** के रूप में संदर्भित किया जाता है,

मेसर्स , पर स्थित, एक चिंता, जिसका प्रतिनिधित्व **श्री** द्वारा किया जाता है, जिसे इसके बाद तालुका मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में संदर्भित किया जाता है, दूसरे भाग में संक्षेप में **टीएमडी**। और संबंधित राज्य के उप सुपर वितरक द्वारा भी प्रतिनिधित्व किया जा सकता है, जिसे संक्षेप में **एस एस डी कहा जाता है**

चूंकि, **एमएफआर** पंचगव्य के निर्माण में लगी हुई है और पूरे भारत में तालुकावार विपणन वितरक नियुक्त करने में रुचि रखती है,

जबकि **टीएमडी** ने **एमएफआर** से संपर्क किया है और पूरे तालुका के लिए विपणन वितरक के रूप में कार्य करने के लिए अपनी सहमति व्यक्त की है,

टीएमडी के आवंटन की सामान्य शर्तें नीचे दी गई हैं:

1. टीएमडी को इस तिथि से 3 वर्ष की अवधि के लिए नीचे निर्धारित सामान्य शर्तों पर राज्य में तालुका आवंटित किया जाता है। इस अवधि को आपसी सहमति से आगे की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन प्रत्येक ऐसे विस्तार पर केवल 2 वर्ष की अवधि के लिए।
2. टीएमडी सामान्यतः इस नियुक्ति की अवधि के दौरान प्रतिस्पर्धी उत्पादों या समान उत्पादों या डुप्लिकेट उत्पादों को बढ़ावा नहीं देने पर सहमत है।
3. टीएमडी इस समझौते पर हस्ताक्षर करने से एक वर्ष की अवधि के भीतर तालुका के 90% गांवों को कवर करने वाले ग्राम स्तरीय डीलरों को नियुक्त करने और उसे आवंटित तालुका में सभी पंचायतों और प्रमुख और छोटे शहरों में डीलर दुकानों में इस समझौते द्वारा कवर किए गए सामानों को रखने की व्यवस्था करने के लिए सहमत है, इस तरह से कि इस समझौते द्वारा कवर किए गए सामान पूरे तालुका में प्रत्येक गांव में और आवंटित तालुका के सभी प्रमुख और छोटे शहरों में उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराए जाएं।

4. टीएमडी यह सुनिश्चित करने के लिए सहमत है कि इस समझौते के अंतर्गत आने वाले सामान खुदरा दुकानों पर **एमएफआर** द्वारा निर्धारित एमआरपी से अधिक कीमत पर नहीं बेचे जाएंगे ।
5. टीएमडी **एमएफआर** द्वारा परिकल्पित मूल्य निर्धारण और विपणन नीतियों के संबंध में एमएफआर द्वारा लिखित रूप में दिए गए निर्देशों का पालन करने के लिए सहमत है ।
6. टीएमडी मास मीडिया विज्ञापन और मास टीवी विज्ञापन के अलावा सभी मार्केटिंग, वितरण व्यय वहन करने के लिए सहमत है। हालांकि, कम लागत पर स्थानीय केबल टीवी विज्ञापन प्रविष्टियाँ टीएमडी द्वारा की जा सकती हैं, **लेकिन ऐसा कोई भी विज्ञापन एमएफआर द्वारा अपने मुद्रित पत्रक या वेबसाइट में किए गए दावों के अनुरूप होगा और टीएमडी द्वारा कोई अतिरिक्त दावा विज्ञापित नहीं किया जाएगा।**
7. **टीएमडी एमएफआर/एसएसडी** से लिखित में "विज्ञापन सामग्री" की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई प्रचार सामग्री नहीं छापेगा या प्रेस में कोई विज्ञापन जारी नहीं करेगा। टीएमडी हमेशा यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी विज्ञापन **एमएफआर** द्वारा अपने मुद्रित पत्रक या वेबसाइट में किए गए दावों के अनुरूप होंगे और **टीएमडी** द्वारा कोई अतिरिक्त दावा विज्ञापित नहीं किया जाएगा ।
8. टीएमडी इस बात पर सहमत है कि **वह एमएफआर** के मुद्रित पत्रकों या वेबसाइट पर खुले तौर पर घोषित किए गए दावों के अलावा उत्पादों के बारे में कोई बड़ा दावा नहीं करेगा।
9. टीएमडी उत्पाद के प्रचार और वितरण के लिए पर्याप्त बिक्री स्टाफ, सामग्री और धन को नियोजित करने और **एमएफआर/एसएसडी** द्वारा निर्धारित पारस्परिक रूप से सहमत बिक्री लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सहमत है ।
10. टीएमडी किफायती मूल्यों पर **एमएफआर** की "**संपूर्ण ग्राहक संतुष्टि**" की नीति का पालन करने तथा उसे आवंटित तालुका के सभी गांवों में बिना किसी कमी के उत्पाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए **सहमत है।**
11. टीएमडी "**पूर्ण ग्राहक संतुष्टि**" प्राप्त करने और डीलरों और किसानों की शिकायतों को हल करने के लिए **एमएफआर** के निर्देशों का पालन करने के लिए सहमत है । **टीएमडी** डीलरों और किसानों के सुझावों और शिकायतों पर स्वयं ध्यान देने के लिए सहमत है ।
12. टीएमडी **एमएफआर/एसएसडी** से नकद एवं कैरी शर्तों या अग्रिम भुगतान शर्तों पर उत्पाद खरीदने के लिए सहमत होगा , तथा किसी भी **प्रकार का क्रेडिट नहीं दिया जाएगा।**
13. टीएमडी सामान्य रूप से केवल आवंटित तालुका के भीतर ही उत्पादों को बेचने के लिए सहमत है और उसे भारत के बाहर उत्पाद निर्यात करने का अधिकार नहीं होगा। **टीएमडी सामान्य** रूप से आवंटित तालुका या राज्य के बाहर नए डीलरों की नियुक्ति करने से परहेज करेगा। हालाँकि **टीएमडी** अपने तालुका के बाहर डीलरों के अपने मौजूदा नेटवर्क को आपूर्ति जारी रख सकता है। **टीएमडी** इस बात से भी सहमत है कि **एमएफआर/एसएसडी को** इस आवंटन के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए प्रत्येक तालुका के लिए अन्य व्यक्तियों को **टीएमडी के रूप में नियुक्त करने का अधिकार है।**

13 (ए) टीएमडी संबंधित टीएमडी द्वारा नियुक्त अन्य तालुकाओं में डीलरों को बिक्री न करने के लिए सहमत है। **टीएमडी** उन तालुकाओं में किसानों को सीधे बिक्री न करने के लिए भी सहमत है जो उसे आवंटित नहीं हैं। आम तौर पर एक **टीएमडी** द्वारा नियुक्त डीलरों को उसी **टीएमडी** द्वारा **आपूर्ति जारी रहेगी, जब तक कि ऐसा डीलर स्थानीय टीएमडी** में स्विच करने की इच्छा न करे, जिसके पास उस तालुका के लिए आवंटन है।

13 (बी). किसान उत्पादक कंपनियां (**एफपीओ**) या जैविक किसान समूह (**ओएफजी**) या स्थानीय सहकारी समितियों को एक गांव के डीलर के रूप में एक विशेष दर्जा प्राप्त होगा और उन्हें संबंधित राज्यों के एसडी द्वारा सीधे नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन इसे केवल संबंधित स्थानीय टीएमडी को ही सौंपा जाना चाहिए, जब उस तालुका के लिए **टीएमडी को अंतिम रूप दिया जाता है।**

13 (सी). सामान्यतः एक टीएमडी द्वारा नियुक्त डीलरों को दूसरे टीएमडी द्वारा अपने पक्ष में करने से सभी टीएमडी को बचना चाहिए।

14. टीएमडी सभी बाजार फीडबैक, बाजार रिपोर्ट आदि को साझा करने के लिए सहमत है तथा किसानों से ग्राहक प्रतिक्रिया प्रपत्र प्राप्त करने और उसे **एमएफआर/एसडी को सौंपने के लिए सहमत है।**

15. टीएमडी **एमएफआर** के उत्पादों को सावधानीपूर्वक संभालने के लिए सहमत है, **ताकि** अंदर की सामग्री को नुकसान न पहुंचे तथा डीलरों तक उन्हें सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था की जाए।

16. टीएमडी किसी भी तरह से उत्पाद के साथ छेड़छाड़ नहीं करने का वचन देता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि डीलरों द्वारा भी इसका सख्ती से पालन किया जाए।

17. टीएमडी डीलरों के नाम और पते तथा उनके द्वारा बेची गई मात्रा की जानकारी उपलब्ध कराने का दायित्व लेता है तथा **एमएफआर/एसडी** द्वारा अनुरोध किए जाने पर मासिक या त्रैमासिक आधार पर **एमएफआर/एसडी** को इसकी सूचना देता है।

18. टीएमडी एक पंचायत/गांव के लिए केवल एक डीलर नियुक्त करने पर सहमत है, तथा डीलरों के बीच अनुचित प्रतिस्पर्धा से बचने को सुनिश्चित करेगा।

19. टीएमडी अपने सभी लेटर हेड, ब्रोशर, लीफलेट, हैंडआउट, पीओपी, नोटिस आदि में **एमएफआर** का नाम प्रमुखता से प्रदर्शित करने के लिए सहमत है तथा यह तथ्य भी **प्रकट करेगा कि टीएमडी** उत्पाद का विपणन वितरक है।

20. इस समझौते के अंतर्गत आने वाले उत्पाद केवल नीचे उल्लिखित हैं:

पंचगव्य 5 मि.ली.; डीएफ सी सीडीपी गाय दूध बूस्टर 400 मि.ग्रा.; और डीसाल्ट 5 ग्राम केवल।

भविष्य में एमएफआर इस सूची में अन्य उत्पाद या कोई अन्य उत्पाद जोड़ सकता है

21. टीएमडी **एमएफआर** द्वारा पूरे भारत में सभी विपणन वितरकों/ वितरक को दिए गए निर्देशों का पालन करने के लिए सहमत है, भले ही **टीएमडी एमएफआर** के निर्देशों से सहमत न हो, बशर्ते कि ऐसे निर्देशों का पूरे देश में अधिकांश **टीएमडी** द्वारा पालन किया जाए।

22. टीएमडी और डीलरों के लिए मार्जिन केवल एमएफआर द्वारा तय किया जाएगा और टीएमडी इस बात से सहमत है कि एमएफआर को मार्जिन बदलने का अधिकार है। व्यापार की जरूरतों के अनुसार समय-समय पर मार्जिन में बदलाव किया जा सकता है। इसकी सूचना एमएफआर/एसडी द्वारा पत्र/ईमेल के माध्यम से टीएमडी को दी जाएगी। प्रस्तावित सभी योजनाओं की सूचना लिखित पत्राचार द्वारा भी दी जाएगी।

23. टीएमडी इस बात से सहमत है कि एमएफआर को बाजार की स्थितियों या सरकारों द्वारा लगाए गए करों और अन्य शुल्कों के कारण जब भी आवश्यक हो एमआरपी बदलने का अधिकार है। वर्तमान में हमारे उत्पाद शून्य रेटेड जीएसटी उत्पाद हैं (जिन्हें छूट प्राप्त कहा जाता है)। पी (पैक आकार 10 मिलीलीटर से कम)

24. टीएमडी इस बात से सहमत है कि एमएफआर को एमआरपी में परिवर्तन करने के लिए पैकिंग में मात्रा बदलने का अधिकार है।

25. अगले 6 महीनों के लिए लक्ष्य राज्य के एसडी द्वारा संबंधित टीएमडी को सूचित किया जाएगा

26. टीएमडी बिना चूके बिक्री लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सहमत है तथा भविष्य में उच्चतर विकास दर निर्धारित करने और मासिक बिक्री लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एमएफआर/एसडी के साथ सहयोग करने के लिए सहमत है।

26. टी.एम.डी. अपने कर्मचारियों और डीलरों को 5 मिली लीटर से 500 मिली लीटर तक के अन्य उत्पादों को तैयार उत्पादों में बदलने के लिए प्रशिक्षण देने के लिए सहमत है, और यह केवल टी.एम.डी. की प्राथमिक जिम्मेदारी है। टी.डी.एस. अपने सभी ग्राहकों (किसानों) और डीलरों को पानी के साथ उचित मिश्रण और उपयोग, छिड़काव के निर्देशों के बारे में प्रशिक्षित करेगा।

27. एमएफआर से टीएमडी को भेजे जाने वाले सभी संचार केवल अंग्रेजी भाषा में ही होंगे, जिसे टीएमडी पूरी तरह से प्राप्त करने और समझने के लिए सहमत है। या राज्य एसडी इसे स्थानीय भाषा में अनुवाद करेगा और टीएमडी के बीच प्रसारित करेगा।

29. एमएफआर /एसएसडी बिना किसी देरी के उत्पादों की आपूर्ति करने के लिए सहमत हैं। हालांकि एमएफआर/एसएसडी को टीएमडी से लिखित में खरीद आदेश की आवश्यकता है और आपूर्ति भेजने के लिए 7 दिनों का समय चाहिए। एमएफआर प्राथमिकता के आधार पर तत्काल आदेशों को निष्पादित करने के लिए सहमत हैं। आपूर्ति आमतौर पर कूरियर/लॉरी/बस परिवहन के माध्यम से भेजी जाएगी और सीधे टीएमडी के पते पर भेजी जाएगी जिसे टीएमडी तुरंत एकत्र करने के लिए सहमत है। ऐसे कूरियर शुल्क एमएफआर/एसएसडी द्वारा वहन किए जाएंगे।

30. टीएमडी एक माह की बिक्री के लिए माल का स्टॉक करने तथा एमएफआर/एसडी को स्टॉक की स्थिति और बिक्री के रुझान की पर्याप्त अग्रिम सूचना देने पर सहमत होता है, ताकि एमएफआर /एसडी उत्पादन/स्टॉकिंग कार्यक्रम की योजना बना सकें।

31. एमएफआर इसके द्वारा टीएमडी को उत्पाद प्रदर्शन की गारंटी देता है और यदि कोई बैच/उत्पाद प्रदर्शन नहीं कर रहा है या मानकों से नीचे प्रदर्शन कर रहा है, तो एमएफआर टीएमडी की पूर्ण संतुष्टि के लिए ऐसे बैच/उत्पादों को बदलने के लिए सहमत है।

32. एमएफआर विनिर्माण करने के लिए आवश्यक किसी भी लाइसेंसिंग का पालन करने और **टीएमडी को निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए** सहमत है। कवर किया गया उत्पाद एफसीओ 1985 से बाहर है। इस प्रकार हमारे उत्पादों को पंजीकृत उर्वरक/कीटनाशक दुकानों के माध्यम से नहीं बेचा जा सकता है। (हालाँकि इन्हें व्यक्तिगत नामों या ऐसे राज्य पंजीकृत दुकानों के मालिकों को उनके घर के पते के साथ बेचा जा सकता है)
33. **समग्र बिक्री में सुधार के लिए आवश्यकता पड़ने पर एमएफआर** उत्पाद की पैकिंग, सुरक्षित सीलिंग, लेबल आदि में परिवर्तन करने के लिए सहमत होता है।
34. --
35. एमएफआर प्रत्येक बोतल/पाउच में निर्माण का महीना और बैच नंबर डालने के लिए सहमत है। उत्पाद की समाप्ति तिथि 2/3 वर्ष बताई जाएगी।
36. टीएमडी इस बात से सहमत है कि **एमएफआर को** अधिक बिक्री प्राप्त करने, पूर्ण ग्राहक संतुष्टि प्राप्त करने तथा दोहराव से बचने के लिए उत्पाद, पैकिंग, सीलिंग, कंटेनर, लेबल, लेबल में सामग्री आदि में सुधार/परिवर्तन करने का पूरा अधिकार है।
38. **टीएमडी** इस बात से सहमत है कि **एमएफआर को** किसी भी राज्य या पूरे भारत में मार्केटिंग कंसल्टेंट नियुक्त करने का अधिकार है। ऐसे मार्केटिंग कंसल्टेंट कम अवधि के लिए कोई भी प्रत्यक्ष मार्केटिंग करेंगे जो कि अधिकतम छह महीने तक भारी छूट वाली कीमतों पर या मुफ्त में हो सकती है। यह **एमएफआर द्वारा टीएमडी** को पूर्व सूचना देकर और केवल उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए किया जा सकता है।
39. टीएमडी **इस** बात से सहमत है कि यदि आवश्यक हो तो **एमएफआर को** ब्रांड नाम प्रस्तुत करने का अधिकार है और वे ऐसी स्थिति में **एमएफआर के** साथ सहयोग करने के लिए सहमत हैं।
40. एमएफआर **को** विपणन नीतियों, मूल्य निर्धारण के बारे में निर्णय लेने और **टीएमडी** को दिशानिर्देश जारी करने का अधिकार है।
41. एमएफआर **/एसडी को टीएमडी** के परामर्श से या स्वयं डीलरों की बैठक में भाग लेने/उसे बुलाने का अधिकार है।
43. टीएमडी ने **शुरू में एमएफआर** से माल खरीदने के लिए सहमति जताई और उसे आवंटित प्रत्येक तालुका के लिए 60,000 रुपये [केवल साठ हजार रुपये] का भुगतान किया। बिक्री बढ़ने पर टीएमडी ने और अधिक धन निवेश करने पर सहमति जताई।
44. जब भी जीएसटी कानून उत्पादों पर लागू होगा, एमएफआर/एसडी और टीएमडी दोनों द्वारा इसका अनुपालन किया जाएगा।
45. आवंटित तालुकाओं में सभी स्थानीय सरकारी ऑर्डर **एमएफआर/एसएसडी** द्वारा सीधे आपूर्ति किए जा सकते हैं, यदि सरकारी विभाग द्वारा ऐसा करने पर जोर दिया जाता है, जिसके लिए **टीएमडी को** कोई आपत्ति नहीं होगी। यदि सरकारी विभाग द्वारा ऐसा करने पर जोर दिया जाता है, तो **टीएमडी** को कोई कमीशन या ऑर्डर प्रोसेसिंग व्यय देय नहीं होगा। हालाँकि, **टीएमडी को** ऐसे थोक ऑर्डर हासिल करने के लिए अपने सभी प्रयासों के लिए उचित रूप से मुआवजा दिया जाएगा।

46. यह आवंटन **एमएफआर/एसएसडी** द्वारा **टीएमडी** पर तीन महीने का नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है।
47. **आवंटन की सामान्य शर्तों को एमएफआर** द्वारा संशोधन / लिखित पत्रों के आदान-प्रदान के माध्यम से परिवर्तित, परिवर्तित या बदला जा सकता है या **एमएफआर** द्वारा इस समझौते के स्थान पर आवंटन की पूरी तरह से नई शर्तें बनाई जा सकती हैं।
48. सभी विवाद केवल चेन्नई न्यायक्षेत्र के अधीन होंगे।

द्वारा सहमति व्यक्त की गई:

निर्माता तालुका विपणन वितरक

गवाह:

नोट: कृपया उपरोक्त खंड संख्या 13 को ध्यानपूर्वक पढ़ें।